22/11/24
पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है
पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 13/12/24
को पेश हों।

13/12/24
पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने
आज अदालती कार्य का स्थगन कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 21/1/25 को पेश हो।

21/1/25
पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने
आज अदालती कार्य का स्थगन कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 10/3/25 को पेश हो।

10/3/25
पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है
पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 03/04/25
को पेश हों।

03/04/25
पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है
पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 20/06/25
को पेश हों।

20/06/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार नीमकाथाना से पूर्व में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो अभिलेख पर ली जाती हैं। प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम "भागा पुत्र रामू" दर्ज हैं जबकि वादी का नाम "भागा पुत्र रामू" की जगह " भागीरथ पुत्र रामू" सही होना बताया हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात यथा– आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, राशन कार्ड, तथा तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिपोर्ट से होती हैं। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajive Yadav
Date: 2025.07.11 13:20
Reason: SelfAttested

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में घोषणा इस आशय की जारी की जाती हैं कि:– **आदेश** तन ग्राम चला पटवार हल्का चला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 376, 369, 371, 437 में वादी का गलत दर्ज नाम ''भागला पुत्र रामू'' के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम ''भागीरथ पुत्र रामू'' दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्रि जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.07.11 13:20:00 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **नीमकाथाना (सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. भागीरथ पुत्र रामू जाति बलाई निवासी चला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–वादी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं. 94 सन् 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री लीलाराम एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **तन ग्राम चला पटवार हल्का चला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 376, 369, 371, 437 में वादी का गलत दर्ज नाम "भागला पुत्र रामू" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "भागीरथ पुत्र रामू" दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

.निज.....................मुबलिग...बाबत..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें। बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 20 माह 06 सन् 2025** को जारी की गई।

दस्तखत.............
ओहदा.............

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान					

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिग्री के ... दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.07.11 13:20:00 IST
Reason: SelfAttested